

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, गोटन

Office of the Assistant Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Gotan

Phone & Fax No. : 01591-231266, e-mail – ame.gotan@rajasthan.gov.in

क्रमांक : सखअ/गोटन/बजरी./2021-22/3245

दिनांक 21/09/2021

—: नीलामी विज्ञप्ति :-

इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं (दरें) दिनांक 04.10.2021 (सांय 5 बजे तक) कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन (नागौर) के कमरा नम्बर 01 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सिलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 05.10.2021 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 01 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्रं. सं.	स्थान का नाम जहां जब्तशुदा बजरी पड़ी है।	बजरी की अनुमोदित मात्रा(टनों में)	बयाना/अमानत राशि	न्यूनतम निवदा राशि
1.	पुलिस थाना पादू कला तहसील रियाबडी जिला नागौर	250 टन	9750/-	97500/-
2.	पुलिस थाना मेडतारोड तहसील रियाबडी जिला नागौर	100 टन	3900/-	39000/-
3.	पुलिस थाना डेगाना तहसील डेगाना जिला नागौर	150 टन	5850/-	58500/-
4.	पुलिस थाना मेडता तहसील मेडता जिला नागौर	100 टन	3900/-	39000/-
5.	पुलिस थाना गोटन तहसील मेडता जिला नागौर	08 टन	312/-	3120/-
6.	पुलिस थाना थांवला तहसील रियाबडी	125 टन	4875/-	48750/-

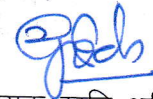
नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

1. निविदा सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी । लिफाफें पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिये। सभी निविदायें कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन,(नागौर) के कमरा नम्बर 01 पर रखें टेन्डर बॉक्स में दिनांक 04.10.2021 (सांयकाल 5 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बेकर्स चैक जो संबंधित सहायक खनि अभियन्ता, गोटन के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिए निविदा प्रस्तुत करता

है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बेकर्स चैक अलग-अलग की संलग्न करने होंगे । निविदा राशि 10 रु प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी ।

3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है ।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर किया जा सकता है । इसकी जानकारी कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन के तकनीकी स्टाफ से भी ली जा सकती है ।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जेसी भी जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी ।
6. प्राप्त निविदायें कमेटी द्वारा दिनांक 05.10.2021 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन के कमरा नम्बर 01 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा । आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ-साथ संबंधित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी । राशि जमा होने की तिथी से 15 एवं अधिकतम 20 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी । अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी ।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्च) अपने स्तर पर ही करनी होगी । इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा ।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निवेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी ।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी ।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र गोटन जिला नागौर होगा ।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेंगे तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी । कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा ।
12. सफलतम निविदादाता को बजरी परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगा ।
13. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा । 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी ।
14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इंड्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा । स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता(सतर्कता) को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी ।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरिकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र में संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा ।

16. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटों वाहनों की तोल पछियां एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इसमें सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
21. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।



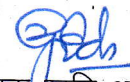
सहायक खनि अभियंता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
गोटन।

क्रमांक:-सम/ 3246 to 3268

दिनांक:- 21/09/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, नागौर।
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, नागौर।
4. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., खान एवं भू-विज्ञान विभाग निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावे !
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर-जोन, जयपुर।
6. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर-वृत्त, अजमेर।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता), बीकानेर।
8. खनि अभियंता(सतर्कता), नागौर।
9. श्रीमान खनि अभियन्ता, नागौर को प्रेषित कर निवेदन है कि नीलामी हेतु प्राप्त होने वाली निविदाएं दिनांक 05.10.2021 को प्रातः 11 बजे इस कार्यालय के कमरा नं. 01 में खोली जावेगी ! चूंकि निदेशालय के आदेश क्रमांक SP-10 दिनांक 23.10.2018 द्वारा इस हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष संबंधित खनि अभियन्ता है। अतः उक्त तिथि को कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता गोटन में उपस्थित होने का कष्ट करावे !
10. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, रियाबडी / डेगाना / मेडता।
11. श्रीमान तहसीलदार, रियाबडी / डेगाना / मेडता।
12. थानाधिकारी, पुलिस थाना, पादू कला / थांवला / गोटन / मेडतारोड / मेडतासिटी / डेगाना।
13. सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
14. खनिकार्यदेशक / सर्वेयर कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



सहायक खनि अभियंता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
गोटन।